न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : विक्रम सिंह, आर.एच.जे.एस.

मूल दीवानी वाद संख्या : 07 सन् 2016

प्रकाश बनाम मांगीलाल वगैरह

विवाद्यक दिनांक : 26.09.2018

1. क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 6 ने ग्राम मजेरा, पटवार क्षेत्र बिलोता, तहसील नाथद्वारा की कृषि आराजी संख्या 232, 709, 731, 749 में से अपना हिस्सा 7,00,000/– रूपये विक्रय करने हेतु दिनांक 22.08.2014 को विक्रय अनुबंध पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित किया एवं इसके पेटे 1,00,000/– रूपये प्रतिवादी संख्या–1 से 5 ने व 1,00,000/– रूपये प्रतिवादी संख्या–6 ने अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त किये ? ––वादी

2. क्या उक्त विक्रय अनुबंध के अस्तित्व में रहते हुए वादी के हक व अधिकारों को मारने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आराजी नम्बर 709 में से 30/140 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–7 को विक्रय कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या–7 ने उक्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या–8 व 9 को विक्रय कर दिया और प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने अपने हिस्से में से 6/84 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को विक्रय कर दिया ? ––वादी

3. क्या वादी उक्त विक्रय अनुबंध की विनिर्दिष्ट पालना में स्वयं के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाने का अधिकारी है ? –– वादी

4. क्या वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वे वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित नहीं करे और इसमें किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे ? –– वादी

5. क्या वादग्रस्त विक्रय अनुबंध अपर्याप्त स्टाम्प पर होने व अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ? –– प्रतिवादीगण

6. क्या वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदार गिरधारीलाल, जगाराम, भंवरलाल, हिराबाई, लालुराम, दौला व नौजीबाई भी इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है एवं उन्हें पक्षकार बनाये बिना वाद चलने योग्य नहीं है ? –– प्रतिवादीगण

7. क्या प्रतिवादी संख्या 7 से 11 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों को निरस्त कराये बिना वाद चलने योग्य नहीं है ? –– प्रतिवादीगण

8. अनुतोष ?

उभयपक्ष को विवाद्यक सुनाये गये तो किसी भी पक्ष ने कोई अन्य विवाद्यक नहीं सुझाया ।

अपर जिला न्यायाधीश,

नाथद्वारा